

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर दो और तीन - श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री भूपेन्द्र यादव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4366/17/21]

3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एन-12/13/1/2019-पीएंडडी, जो 6 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को संशोधित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4367/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 196(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4368/17/21]

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) (संशोधन) आदेश, 2021 जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (दो) सॉल्वेंट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (तीन) का.आ. 2133 (अ) जो 2 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेश दिया गया है कि तेल कंपनियां संपूर्ण राज्यों और संघ-राज्यक्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय करेंगी ।

[Placed in Library, See No. LT 4369/17/21]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA

SITHARAMAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Notification

No. 38/2021-Customs (Hindi and English versions) dated 26th July, 2021, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 50/2017-Cus dated 30.06.2017 so as to (a) reduce the BCD from 10% to Nil on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] originated in or exported from countries other than USA and (b) to reduce the BCD from 30% to 20% on Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] originated in or exported from USA and Notification No. 11/2021-Cus dated 01.02.2021 so as to reduce the AIDC on all Lentils (Masur) [HS 0713 40 00] from present rate of 20% TO 10% under Section 159 of the Customs Act, 1962. The above amendments will be effective from 27.07.2021.

[Placed in Library, See No. LT 4370/17/21]

... (*Interruptions*)

-